संख्या-463/2017/431/22-2-2017-17(114)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 21 जून, 2017***

विषय:- आदर्श कारागार (नारी बन्दी निकेतन) लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी नूरजहां पत्नी श्री अलाउद्दीन निवासी जनपद-आगरा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 02.12.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार (नारी बन्दी निकेतन) लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी नूरजहां पत्नी श्री अलाउद्दीन, निवासी-आपका मजार तांगा स्टैण्ड के पास, थाना-वाजगंज, जनपद-आगरा की रहने वाली है। महिला बन्दी द्वारा ईटों के बंटवारे के विवाद को लेकर दिनांक 06.06.2005 को महिला बन्दी ने अपने 02 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर हाथ पैर रस्सी से बांधकर बांके से गर्दन काटकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया है। उक्त अपराध के लिए महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-872/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-12, आगरा के आदेश दिनांक 18.11.2008 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 18.10.2016 तक 08 वर्ष 04 माह 25 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष 11 माह 15 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। महिला बन्दी का जेल आचरण अच्छा एवं सुधारात्मक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई कोई आपत्ति नहीं है लेकिन दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति, काटी गयी सजा के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा सक्षम स्तर पर यह पाया गया कि महिला बन्दी के 02 सहअभियुक्त अभी जेल में हैं तथा दयायाचिका समिति द्वारा रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। अत: समय से पूर्व रिहाई का औचित्य स्थापित नहीं होता है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी नूरजहां (बन्दी संख्या-1699) पत्नी श्री अलाउद्दीन निवासी जनपद-आगरा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-463/2017/431/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, आगरा।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार (नारी बन्दी निकेतन) लखनऊ ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in